

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- श्री अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 367 /2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025 /

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए

राज.सरकार

तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी की ओर राज.पैरोकार।

आदेश

दिनांक 09.10.2025

यतः तहसीलदार पचपदरा ने ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1742/280 व 1773/280 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षों से मौके पर चलायमान रास्तों को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांक: राजस्व (गुप्र-6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की सहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैं:-



ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1742/280 व 1773/280 में से सलग्न नक्कानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि जो राजहित में समर्पण होने के आधार पर राजस्व(गुप्र-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(1) में विहित प्रावधान के अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करते हुए तदनुसार भू-अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं:-

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्राचीन जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट)	किरम भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट)	किरम भूमि	
1	01	1742 / 280	0.1100	बा.दोयम	1742 / 280	0.1100	गै.मु.रास्ता	
2	01	1773 / 1715	0.1157	बा.दोयम	1773 / 1715	0.1157	गै.मु.रास्ता	

तहसीलदार पंचपदरा को निर्देशित किया जाता है, कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 09/10/2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया। *

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा